

Q160

<http://www.labour.mp.gov.in/Default.aspx>

www.labour.mp.gov.in/Default.aspx

कर्मकार कल्याण मंडल सुरक्षा सेवायें

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल

राज्य की औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए कल्याण गतिविधियों का संचालन करने के लिए मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के तहत एक मंडल स्थापित किया गया है. कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के 14 नवम्बर, 1987 को प्रभाव में आया और मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल ने 1990 में कार्य करना प्रारंभ किया. मंडल ने राज्य में लगातार अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है.

स्टार्टअप सेक्टर की इकाईयों को श्रम कानूनों के अंतर्गत आवश्यक सुविधाएँ दिए जाने के संबंध में दिश.निर्देश। [view](#)

श्रम विभागीय सेवाओं को मोबाइल एप. "एप. श्रम सेवा एप" के माध्यम से नागरिकों को आगामी गणतंत्र दिवस से उपलब्ध कराने विषयक। [view](#)

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (सिंगल विंडो)

- प्रमुख श्रम कानूनों के अन्तर्गत पंजीयन/अनुज्ञप्तियां
- भावेदन शुल्क जमा करने की विधि
- स्व-प्रमाणिकरण याजना (VCS)
- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण
- फीडबैक, सुझाव एवं शिकायतें

मजीठिया वेतन बोर्ड की अनुशंसाएं


- क्रियान्वयन की स्थिति
- मजीठिया वेतन बोर्ड – मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का परिपालन
- डाउनलोड श्रम सेवा मोबाइल एप्लिकेशन [view](#)

ऑनलाइन सेवाएं

- दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक स्थापनाएँ
- कारखाना अधिनियम अंतर्गत सेवाएँ
- ठेका श्रम अधिनियम अंतर्गत प्रमुख नियोजक [view](#)
- ठेका श्रम अधिनियम अंतर्गत ठेकेदार [view](#)
- भवन एवं अन्य संनिर्माण संस्थान [view](#)
- डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र का सत्यापन [view](#)
- Docket No एवं Password से निरीक्षण रिपोर्ट देखें/ डाउनलोड करें [view](#)
- ऑनलाइन रिटर्न जमा करें [view](#)

परिपत्र	प्रक्रिया एवं प्रपत्र	आदेश	घटनाएँ	समाचार	बजट	वार्षिक प्रतिवेदन	न्यूनतम वेतन	आंकड़े	अधिनियम एवं नियम	योजनाएं	अधिसूचनाएँ
प्रकाशन	लिक	सूचना का अधिकार	सिटीजन चार्टर								

http://www.labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease_of_Doing.aspx



मध्यप्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

1. प्रमुख श्रम कानूनों के अन्तर्गत पंजीयन/अनुज्ञप्तियाँ:

(अ) कारखाना अधिनियम, 1948

- (i) निर्माण कार्य के नक्शे/कारखाना के रूप में उपयोग किये जाने वाले भवन के विस्तार का अनुमोदन।
- (ii) खतरनाक श्रेणी के नवीन कारखाने का पंजीयन/अनुज्ञप्ति।
- (iii) गैर-खतरनाक श्रेणी के नवीन कारखाने का पंजीयन/अनुज्ञप्ति।
- (iv) कारखानों की अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण
- (v) कारखाने की अनुज्ञप्ति में संशोधन
- (vi) उपर्युक्त सेवाएँ एमपी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी।

(ब) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958

- (i) दुकान/स्थापनाओं का पंजीयन
 - (ii) स्थापनाओं के पंजीयन का नवीनीकरण
 - (iii) स्थापनाओं के पंजीयन का संशोधन
 - (iv) स्थापनाओं के पंजीयन का नवीनीकरण एवं संशोधन
- ऑनलाईन पंजीयन/नवीनीकरण/संशोधन संबंधी सेवाओं हेतु कृपया यहाँ क्लिक करें।

(स) संविदा श्रम अधिनियम, 1970

Detailed Procedure
along with the list of
mandatory

http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=142

Entire procedure is elaborated and List of mandatory documents is given at Step 8

labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=142

Form Title : Renewal of Factory Licence under Factories Act

Form Type : Public


Form Details : Renewal of Factory Licence under Factories Act

Download Link Download attachment View attachment

चरण-8	आवेदन के साथ स्केन करके सब्मिट (प्रस्तुत) करने के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज: अ- गैर खतरनाक श्रेणी:- 1. फार्म - 4 में आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति । 2. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो । 3. आवेदक का फोटो परिचय पत्र । 4. कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण फीस जो हेड - 0230 श्रम एवं रोजगार, 104-कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वसूल फीस में जमा की गई हो, के बैंक चालान/साइबर टेडैररी रसीद (सी.टी.आर.)/ लोक सेवा केंद्र की रसीद , की मूल प्रति । 5. मूल कारखाना लाइसेंस 6. अधिभोगी के नाम में परिवर्तन का प्रमाण पत्र /कम्पनी के नाम में परिवर्तन का प्रमाण पत्र /हार्स पावर में परिवर्तन का प्रमाण पत्र - आवश्यकता अनुसार
	ब- खतरनाक श्रेणी:- 1. फार्म - 4 में आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति। 2. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो। 3. आवेदक का फोटो परिचय पत्र। 4. कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण फीस जो हेड - 0230 श्रम एवं

<http://www.mponline.gov.in/Portal/Services/FactoryReg/Home.aspx>

User manual also available at module specific web page



महत्वपूर्ण सूचना: 29 फरवरी 2016 के बाद प्राप्त नवीनीकरण (License Renewal) आवेदनों पर 25% विलम्ब शुल्क देय होगा।

The screenshot displays the main content area of the website, organized into three columns. The left column is titled 'Licensing under Factories act 1948' and contains several sections: 'New Registration Options', 'Renewal Options' (with a sub-section 'Apply For Renewal' containing buttons for 'Apply For Renewal', 'Resubmission for renewal of License', 'Print application & Payment Receipt', and 'Search your License No. by Factory Name'), 'Payment Options', 'Amendment Options', and 'Online submission of returns'. A black arrow points from the 'Amendment Options' section to the 'How to Renew License' button in the middle column. The middle column is titled 'User Manuals' and contains a vertical list of buttons: 'License Fee schedule', 'Regist. for Non Hazardous Category', 'Registration for Hazardous Category', 'List of Competent Persons', 'Verify License Digital Signature', 'How to Renew License' (circled in red with a 'New' icon), 'Renewal Fee Chart' (also with a 'New' icon), 'Approval of Plan', 'Amendment Fee Calculator', and 'FAQ'. The right column contains three sections: 'Track Application' (with an 'Application Number' input field and a 'Submit' button), 'Download Factory Licence' (with an 'Application Number' input field and a 'Download Licence' button), and 'Download Renewed Licence' (with an 'Application Number' input field and a 'Download Renew Licence' button). At the bottom right, there is a 'How To Verify Licence' section with a 'Verify Licence' button.

<http://www.mponline.gov.in/Quick%20Links/FactoryReg/UserManual/LicenseRenewal.pdf>

The image displays two screenshots of the MPO Online portal. The top screenshot shows the 'New Registration For License of Factory Establishment & Planning' page. A modal message box in the center states 'User Created successfully. New User? Sign Up'. A callout bubble points to the 'Sign Up' button with the text 'User created successfully.' Below the sign-in form, contact information for the Director, Industrial Health and Safety, and MPO Online Customer Care is provided.

The bottom screenshot shows the same portal with a note: 'Note: If you have not yet created your User ID, please register using "New User? Signup" to avail Online Services of Directorate of Industrial Health & Safety, Madhya Pradesh.' A callout bubble points to the 'Login' button with the text 'Using Email id and password login the application.'